संख्या-683/2017/321/22-2-2017-17(245)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवरपाल पुत्र श्री भरतू निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवरपाल पुत्र श्री भरतू निवासी ग्राम-पाण्डोखेड़ी, थाना-नानौता, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पैतृक जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 01-10-1983 को दो सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा, तबल एवं लाठी से मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-278/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के ओदश दिनांक 16-09-1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-05-2014 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा तथा 01 अन्य सहअभियुक्त फरार चल रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2016 तक 01 वर्ष 04 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 07 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कुंवरपाल (बन्दी संख्या-1310/2015) श्री भरतू निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-683/2017/321/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in